

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of H.P.  
Office of the District Collector  
\*\*\*\*

4568/RB/16  
17/12/16

SML-SR (57)/2014 - 1236

Dated: 12/12/16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of applications for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3-67-56 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Simla for Construction of Shimla Passenger Ropeway Project (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3-67-56 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure \_\_\_ to annexure \_\_\_.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Each As above



  
District Collector  
Shimla District (H.P.)  
(Full name and official seal of the District Collector)  
2

ANNEXURE-IVOFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA  
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-12-2016 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Ward No. 8,9,10,11,12,13 forest area(s) 3-67-56 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	


Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	
		OR	

As informed by SDO (Civil) Shimla, no application was received from Gram Sabha claiming right in 3-67-56 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-12-2016

  
Deputy Commissioner-Cum- Chairman


PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-12-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.


At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.


All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.


The meeting ended with vote of thanks.


  
( A. K. VERMA )

  
( AMIT SARDA )


  
( H.K. Gupta )


  
( Shashi Arora )

  
( A. Deswal )  
DFO R.S.S.

  
( B.L. Sharma )  
DFO

Anita  
( Anita Kanta )  
Z.P. member  
Chopal.

  
( )

  
( Manu Sen )  
Z.P. member  
Sund

Deputy Commissioner-Cum-Chairman  
District Level Forest Right Committee  
Shimla District Shimla, H.P.

Office of the Sub Divisional Officer (Civil), Shimla (U) District Shimla (HP)

**Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act (FRA) 2006.**

A Meeting of the Sub Divisional level Committee of Sub Division urban Shimla, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of **Sh. Hemis Negi, SDO (Civil) Shimla Urban** on 25-11-2016 at 11.30AM at Shimla in which the Application submitted by the Department of **Assistant Commissioner M.C. Shimla**, was discussed and same is recommended to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level committee.

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	No claim from anybody has been received.	Shimla Urban	C/O Shimla Passenger Ropeway Project Area 3-67-56 Hect.

Claim of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	Nil	Nil	Nil

OR

As informed by \_\_\_\_\_ Gram Sabha on application was received claiming rights in \_\_\_\_\_ forest area.

Yours faithfully

**SDO(Civil)-Cum-Chairman/Chairperson**

**Place:-Shimla**

**Date: 25.11.2016**

**Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.**

## Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा... वाई नो-8

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा वाई नो-8 की बैठक आज दिनांक 24-04-2016

का बजे स्थान में श्री/ श्रीमति अलिता हनीट

की अध्यक्षता में की गई जिसमें टुटी कण्डी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वाई नो-8

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम शिफ्ट भाग द्वारा शेप \*\*

का निर्माण के लिए 1.50 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावा हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया- List of Kh. No. & Area attached Flaged 'A'

क्र.सं. \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ध्येय

1. कैपी श्री व्यक्ति द्वारा वन अधिकार का दावा दर्ज है। — —

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों का पारित करन हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. \*पात्र गांव वासी का नाम

— NIL —

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों का पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान... श्रीनगा

दिनांक.....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
वाई ग्राम सभा... सायब

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

ग्राम सभा वर्ड नं० - 8 की बैठक आज दिनांक 24.04.2016 को

बज स्थान ..... में श्री/ श्रीमति ऊमा कौशल (पार्टी) की अध्यक्षता में की

गई जिसमें दुठी कण्डी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वर्ड नं० - 8 जंगल / वन

क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम शिफ्ट भाग द्वारा रीपट \*\* के निर्माण के

लिए 1.50 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम

सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की

गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1	<u>किसी भी व्यक्ति द्वारा वन</u>		
2	<u>अधिकार का दावा दर्ज नहीं है।</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करत हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त न स लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	<u>NIL</u>
2	

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार ..... जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान (शिव)  
दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
वर्ड नं० सभा सायेव

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा वार्ड न० - 8  
विकास खण्ड ..... जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक .....

समूची 2405 / 1211

प्रस्ताव संख्या .....

दिनांक नगर निगम शिमला विभाग/संस्था का रीपवे  
क निर्माण हेतु वार्ड न० - 8 जंगल/ वन क्षेत्र  
में प्रस्तावित 1.50 हैक्टर वन भूमि के उपयोग  
की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा वार्ड न० - 8 को बैठक आज दिनांक  
24.04.2016 का वज, स्थान शिमला की गई, जिसमें नगर निगम शिमला  
विभाग/संस्था का रीपवे के निर्माण हेतु वार्ड न० - 8  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.50 हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के  
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों का पूरी  
समझन के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि  
दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा को इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की  
मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व  
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे  
सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 1.50 हैक्टर वन  
भूमि का Reopenay निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ..... की  
सहमति दी जाती है।

स्थान शिमला  
दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
वार्ड ग्राम सभा शिमला

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा **वार्ड नं०-९**  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा **वार्ड नं०-९** की बैठक आज दिनांक **17-04-2016**

को **बजे** स्थान **सचिवानन्द शर्मा** में श्री/ श्रीमति **सचिवानन्द शर्मा**  
की अध्यक्षता में की गई जिसमें **जायन्ता** गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत **वार्ड नं०-९**

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें **नगर निगम शिक्षा** विभाग द्वारा **शेपटी** \*\*  
क निर्माण के लिए **०.42** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दाव हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ध्यौरा
1	<b>कली जी अग्रिस्त द्वारा वन अधिकार का दावा दर्ज नहीं है।</b>		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इलका सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
	<b>नाए</b>

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान **श्रीवला**  
दिनांक .....

**अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता**  
**वार्ड ग्राम सभा वार्ड नं० ९ श्रीवला**

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

ग्राम सभा वाई न०- 9 की बैठक आज दिनांक 17.04.2016 को

बजे स्थान..... में श्री/ श्रीमति शशी शीखर चौधरी (मापद) की अध्यक्षता में की

गई जिसमें नाम्ना गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वाई न० - 9 जंगल / वन

क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम शिक्षण भाग द्वारा रीपवे \*\* के निर्माण के

लिए 0.42 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम

सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की

गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>किली जी</u>	<u>व्यक्ति द्वारा वन अधिकार</u>	
2	<u>का दावा सही नहीं है।</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इन दावों/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को पारित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	<u>— श्री —</u>
2	

इस प्रकार ग्राम सभा इस दावों/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार..... जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान श्रीखला  
दिनांक.....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
9/5 ग्राम सभा साखव

\* ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा वार्ड न०-९  
विकास खण्ड ..... जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक .....

संख्या 2457 / 1256

प्रस्ताव संख्या .....

दिये नगर निगम शिमला विभाग/संस्था को रीपवे  
के निर्माण हेतु वार्ड न०-९ जंगल/ वन क्षेत्र  
में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग  
को मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा वार्ड न०-९ को बैठक आज दिनांक .....  
का यज. स्थान को गई जिसमें नगर निगम शिमला  
विभाग/संस्था को के निर्माण हेतु वार्ड न०-९  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित ०.४२ हैक्टयर वन भूमि के उपयोग को मजूरी के  
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है। खसरा न० की प्रतिलिपी संलग्न की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों का पूरी  
समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि  
लिए सहमति प्रदान करती है।

ग्राम सभा को इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की  
मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व  
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे  
सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित ०.४२ हैक्टयर वन  
भूमि को Ropeway निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ..... की  
सहमति दी जाती है।

स्थान शिमला  
दिनांक .....

अधिकृत  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
वार्ड ग्राम सभा मान्यता

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा वार्ड नं०-10  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा वार्ड नं०-10 की बैठक आज दिनांक 28-04-2016

का बजे स्थान राजू ठाकुर में श्री/ श्रीमति राजू ठाकुर  
की अध्यक्षता में की गई जिसमें फागली गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य  
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं०-10

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम विभाग द्वारा रीपवे \*\*  
क निर्माण के लिए 0.22 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए  
दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों  
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा  
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं० \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ख्यौरा

1. मिस्री जी लखिता द्वारा वन
2. अधिकार का दावा दर्ज नहीं है।

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इनकी  
सिफारिश करती है।

उपरोक्त से अ लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं० \*पात्र गांव वासी का नाम

— NIC —

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। रिजल्ट

स्थान खिमला  
दिनांक २

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
वार्ड ग्राम सभा, साचिन  
वार्ड नं०-10

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए  
आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग  
की अनुमति दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा वार्ड नं० - 10 की बैठक आज दिनांक 28.04.2016 को

वज्र स्थान मे श्री/ श्रीमति कल्याणलक्ष्मी देवी (पार्षित) अध्यक्षता में की गई जिसमें फागली गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं०-10 जंगल / वन

क्षेत्र में (जिसमें नगर विकास विभाग द्वारा शीपवे \*\* के निर्माण के लिए 0.22 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम

सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>मिली श्री उपरित डरु वन अधिकारी</u>		
2	<u>का दावा दर्ज नहीं है।</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरान्त न के लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	<u>NIL</u>
2	

अतः ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान शिमला  
दिनांक

विमल  
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा, श्रीपति  
वार्ड नं० 10

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



51

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा... **वार्ड नं० - 11**  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा... **वार्ड नं० - 11** की बैठक आज दिनांक **10.04.2016**

को **बजे** स्थान..... में श्री/ श्रीमति **बिन्दु कुमार**

की अध्यक्षता में की गई जिसमें **कृष्णा जगर** गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत **वार्ड नं० - 11**

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें **नगर निगम क्षेत्र** विभाग द्वारा **रीफ्ट** \*\*

के निर्माण के लिए **0.64** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दाव हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ध्येय
1	<b>किली श्री लक्ष्मि देवी</b>		
2	<b>अधिकार का दावा देखा नहीं है</b>		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
	<b>NIL</b>

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान **श्रीमाला** अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
दिनांक ..... **वार्ड** ग्राम सभा... **वार्ड नं० 11**

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

ग्राम सभा वार्ड नं० - 11 की बैठक आज दिनांक 10.04.2016 को

बज स्थान \_\_\_\_\_ में श्री/ श्रीमति रजनी सिंह (माफिट) की अध्यक्षता में की

गई जिसमें कृष्णा नगर गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं० - 11 जंगल / वन

क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम शिकरा विभाग द्वारा रीफ्ट \*\* के निर्माण के

लिए 0.64 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम

सभा को वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की

गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के

उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-  
क0सं० \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1 मि० श्री अश्विनी दारा वन  
2 अधिकार का दावा दर्ज नहीं है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरान्त न के लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-  
क0सं० \*पात्र गांव वासी का नाम

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

अतः ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।  
या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार \_\_\_\_\_ जंगल / वन क्षेत्र

में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।  
स्थान शिमला अघीकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक \_\_\_\_\_  
अडि ग्राम सभा 63.N.O.11

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।





Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006  
वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा वाड नं० - 12.  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा वाड नं० - 12. की बैठक आज दिनांक 17.04.2016.  
का बजे स्थान श्री/ श्रीमति श्रवता  
की अध्यक्षता में की गई जिसमें रामबाजार गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य  
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वाड नं० - 12.  
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें गर निगम क्षेत्र विभाग द्वारा श्रीमती \*\*

क निर्माण के लिए 0.04 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए  
दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों  
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा  
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1	<u>किसी जी व्यक्ति द्वारा</u>		
2	<u>मन्दिवार का दावा दर्ज नहीं है</u>		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इत्तफा  
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
	<u>NIL</u>

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रामबा  
दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा 9151191110 - 12  
वाड

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या..... दिनांक.....

ग्राम सभा वार्ड नं० - 12 की बैठक आज दिनांक 17.04.2016 को  
बजे स्थान श्री/ श्रीमति सूधमा कुठियाला (पार्षद) अध्यक्षता में की  
गई जिसमें रात्र बाजार गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत  
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं० - 12 जंगल / वन  
क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम शिवा भाग द्वारा शीत \*\* के निर्माण के  
लिए 0.04 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम  
सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की  
गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के  
उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>मिली और जयशंकर</u>	<u>जंगल</u>	
2	<u>श्रीमती का दावा सही नहीं है।</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को  
पेश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पत्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -


क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	<u>NIL</u>
2	

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार..... जंगल/ वन क्षेत्र  
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रात्र बाजार  
दिनांक.....

  
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा वार्ड नं० - 12  
वाँ

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए  
आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग  
की अनुमति दी जानी है।

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा वार्ड न०-12.  
विकास खण्ड ..... जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक .....

संख्या 3859 / 1930

प्रस्ताव संख्या .....

दिनांक नगर निगम शिमला विभाग/संस्था का रीपटी  
के निर्माण हेतु वार्ड न०-12. जंगल/ वन क्षेत्र  
में प्रस्तावित 0.04 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग  
की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा वार्ड न०-12. को बैठक आज दिनांक  
17.04.2016 का रीपटी की गई जिसमें नगर निगम शिमला  
विभाग/संस्था का रीपटी के निर्माण हेतु वार्ड न०-12.  
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.04 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के  
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है। खसरा न० की प्रतिलिपी संलग्न की गई है-

सभी ग्रामवासियों ने संबन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों का पूरा  
अनुमति के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि  
दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा को इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की  
मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व  
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे  
सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 0.04 हैक्टयर वन  
भूमि का निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की  
सहमति दी जाती है।

स्थान शिमला  
दिनांक .....

[Signature]  
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम सभा वार्ड न०-12  
वार्ड

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा वार्ड नं०-13.  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा वार्ड नं०-13 की बैठक आज दिनांक 24.04.2016

का बजे स्थान लोउर बाजार में श्री/ श्रीमती सीमा शर्मा

की अध्यक्षता में की गई जिसमें लोउर बाजार गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं०-13.

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर सिविल शिफ्ट भाग द्वारा रीफ्ट \*\*

के निर्माण के लिए 0.86 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावा हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-  
क0नं० \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का भाग वन अधिकार का व्यौरा

- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | <u>श्री जी चरित कुराबन</u>  |  |
| 2 | <u>गोपाल का दावा कुराबन</u> |  |

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इत्तफा सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

- |       |                         |
|-------|-------------------------|
| क0सं० | *पात्र गांव वासी का नाम |
|       | <u>निल</u>              |

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान SHIMLA  
दिनांक .....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
वार्ड-ग्राम सभा 13

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक .....

ग्राम सभा वाई न० - 13, की बैठक आज दिनांक 24.04.2016 को

बज्र स्थान लीअर बाजार में श्री/ श्रीमति मार्ती शूद की अध्यक्षता में की

गई जिसमें लीअर बाजार गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वाई न० - 13 जंगल / वन

क्षेत्र में (जिसमें जंगल विभागाधीन द्वारा रीफ्ट \*\* के निर्माण के लिए 0.86 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम

सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०स० \*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

- 1 किली जी चरित झा
- 2 अन्धकार का दावा ठीक नहीं है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०स० \*पात्र गांव वासी का नाम

- 1 — NIL —
- 2


अतः ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान SHIMLA

दिनांक .....

  
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
वाई ग्राम सभा 13

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

